AKSH

AKSH OPTIFIBRE LIMITED

A-32, 2nd Floor,
Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura
Road, New Delhi-110044, INDIA
Tel.: +91-11-49991700, 49991777
Fax: +91-11-49991800
Email : aksh@akshoptifibre.com
Website : www.akshoptifibre.com
CIN NO.: L24305RJ1986PLC016132

July 08, 2025

To,

National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400 051. **NSE SYMBOL: AKSHOPTFBR**	**BSE Ltd** Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001 **BSE SCRIP CODE: 532351**

Dear Sir/Ma'am,

Sub: <u>Copy of Newspaper Publication for Intimation to Shareholders of 38th Annual General Meeting to be held on Friday, August 08, 2025 of Aksh Optifibre Limited ("the Company")</u>

With reference to the captioned subject and in accordance with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs in this regard, please find enclosed copies of Newspaper Publication for the attention of shareholders of the Company regarding the 38th Annual General Meeting scheduled to be held on Friday, August 08, 2025 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC) & Other Audio Visual Means (OAVM), published on July 08, 2025, in "The Financial Express" and "Lokmat".

You are requested to take the same on records.

Thanking You,

For & on behalf of
Aksh Optifibre Limited

MAYANK CHADHA
Digitally signed by MAYANK CHADHA
Date: 2025.07.08 15:34:05 +05'30'

Mayank Chadha
Company Secretary & Compliance Officer
ICSI M. No.: F13404

Encl.: a/a

AKSH OPTIFIBRE LIMITED

CIN: L24305RJ1986PLC016132

Registered. Office: F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi-301019, Rajasthan
Corporate Office: A-32, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi- 110044
Tel: No. 011-49991700, **Fax No.** 011-49991800
E-mail: investor.relations@akshoptifibre.com, **Website:** www.akshoptifibre.com

Information regarding 38th Annual General Meeting to be held through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM')

The 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Aksh Optifibre Limited ("the Company") will be held on Friday, August 08, 2025 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 & SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("the SEBI Circular"), to transact the businesses as set out in the notice of AGM.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for Financial Year 2024-25 will be sent to those shareholders, whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s), on their email address. The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.akshoptifibre.com, the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the Company's RTA e-voting website at https://evoting.kfintech.com/.

The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on businesses as set out in the Notice of AGM through E-Voting. The Company has engaged its RTA, KFin Technologies Limited ("KFin") to provide the facility of remote E-voting and facility of E-voting to the members participating in the AGM through VC/OAVM. The Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM at https://emeetings.kfintech.com. The process and manner of remote E-voting, attending the AGM through VC/OAVM and E-voting during AGM, for members holding shares in demat form or physical form and for the members who have not registered their email address, has been provided in the Notice of AGM.

Member are requested to follow the below mentioned instructions to register/update their email addresses:

Physical Holding	Physical shareholders can register/update the contact details through submitting the requisite **ISR 1 form** along with the supporting documents.
	ISR 1 Form can be obtained by following the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx
	Detailed FAQ can be found on the link: https://ris.kfintech.com/faq.html
	In case of any queries, shareholders may write to evoting@kfintech.com.
Demat Holding	For more information on updating the email and Mobile details, please reach out to the respective DP(s), where the DEMAT a/c is being held.

for Aksh Optifibre Limited
Sd/-
Mayank Chadha
Company Secretary & Compliance Officer

Date: July 07, 2025
Place: New Delhi

LLOYDS LUXURIES

LLOYDS LUXURIES LIMITED

Corporate Identity No. (CIN): L74999MH2013PLC249449
Regd. Office: B-2, Unit No. 3, 2nd Floor, Madhu Estate, Pandurang Budhkar Marg, Lower Parel, Delisle Road Mumbai-400013.
Tel:02268238888; **Email:** cs@lloydsluxuries.in;
Website: www.lloydsluxuries.in

NOTICE OF 12th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 12th Annual General Meeting ("AGM") of Lloyds Luxuries Limited ("the Company") will be held on Thursday, 31st July, 2025 at 03.00 p.m. (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice calling the AGM. In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the MCA General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, MCA General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, MCA General circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, MCA General Circular No. 02/2021 dated 13th

This advert is not an announcement for the offer document. All capitalize ock Exchange of India Limited ("NSE"). This advertisement is not for rele

ED

MIRC Electr ith registration number 23637 of 1981. Subsequently, it became a d refer to the section titled "General Information" beginning on page 40 of

ISSUE OF R THE COMPANY OR THE "ISSUER") FOR CASH AT ARE) ('ISSUE PRICE') FOR AN AMOUNT UP TO ₹ 4,94 QUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREH OTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION

**Assuming*

SUE CLOSES ON#
MONDAY, JULY 21, 2025

**Eligible Equ r prior to the Issue Closing Date.*

#Our Board e Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted

will be accepted. Investors have to apply through the

ASBA BLO aws or regulations. We satisfy, and each account for which **Circulars, al** the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction **ASBA proce**
making thei ares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise **the Letter of** S, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a
Please note t Act.
of Rights En ring such Rights Entitlement, and/or the Equity Shares, is/ Shareholders the US Securities Act), and (i) is/are acquiring the Rights Shares in the requirements of Regulation S or in a transaction exempt the website o
may also co ein.
(mirc.rights20 the truth and accuracy of the foregoing representations, accounts of t
(namely, " MI
by our Comp taining to Rights Entitlements credited to the same demat demat suspe an Eligible Equity Shareholder submits Application Forms authority; or jected. Eligible Equity Shareholder are requested to strictly our Company being rejected, with our Company and the Registrar not of the Equity pplication format will be available on the website of the holding Equity
Shareholders are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in ICDR Master
have not fur aper, the Application is liable to be rejected.
Closing Date y filled in Application Form is the Issue Closing Date i.e. equity shares said date for such period as it may determine from time to **FACILITY FO** the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Circular and is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Eligible Equit an SCSB; or (ii) not received by the Bankers to the Issue ASBA. For d date as may be extended by our Board or any committee **PROCEDUR** d to have been declined and our Board or any committee facility, is req under "Terms of the Issue - Basis of Allotment" beginning Application in , Applications through ASBA process will be uploaded until electronic Ap Stock Exchanges.
Money payat **CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY** Application F **GHTS ENTITLEMENTS:** The Eligible Equity Shareholders Account equ ccounts, either in full or in part (a) by using the secondary Application. or (b) through an off-market transfer (the "Off Market www.sebi.go he demat Rights Entitlements credited/lying in his/her own collecting the nunciation and Off Market Renunciation will be settled by cordance with the SEBI ICDR Master Circular, the resident
Please note t n Record Date shall be required to provide their demat 2012 within Es not later than two Working Days prior to Issue Closing Applications t day before Issue Closing Date, thereby enabling them to January 02, 2
have a separ **RIGHTS ENTITLEMENTS THROUGH ON MARKET** of making App **TO BE MADE FOR SUBSCRIBING THE RIGHTS EQUITY** its directors, **SHAREHOLDERS OR THE RENOUNCEE OF RIGHTS** for acts, mist **HTS ENTITLEMENTS SHALL LAPSE AND SHALL BE** SCSBs, App **SHARES FOR SUCH LAPSED RIGHTS ENTITLEMENTS**

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा शिविर में पट्टा प्राप्त करने पर नानूराम का खिला चेहरा

■ लोकमत, जयपुर

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुड़ियो का बास में सोमवार को आयोजित शिविर में नानूराम पुत्र डूंगाराम ग्राम कुड़ियो का बास ग्राम पंचायत कुड़ियों ने आवासीय भूखण्ड के लिए आवेदन किया। प्रार्थी नानूराम ने बताया कि उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वर्ष 2024-25 की पात्रता सूची में नाम दर्ज था, उसका आवास भी स्वीकृत हो गया था, परन्तु उसके पास आवासीय भूमि नहीं होने के कारण उसे आवास निर्माण हेतु किश्त जारी नहीं हो सकी।

वार्ड संख्या 87 महावीर नगर द्वितीय में हुई जनसुनवाई

महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने वार्ड संख्या 87 में जन समस्याओं को तत्काल निस्तारण करने के दिये निर्देश

■ लोकमत, जयपुर

नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने सोमवार को वार्ड संख्या 87 महावीर नगर द्वितीय में जन समस्याओं को सुना और संबंधित शाखा के अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिये। जनसुनवाई के दौरान उपायुक्त उद्यान, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियंता सांगानेर, मुख्यालय, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी एवं आमजन मौजूद रहे।

जनसुनवाई के दौरान स्थानीय नागरिकों एवं विकास समिति के प्रतिनिधियों ने महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं पार्क की चारदीवारी की मरम्मत, फुटपाथ की मरम्मत, योगाभ्यास हेतु डोम का निर्माण, पेयजल आपूर्ति के लिए टंकी निर्माण हेतु जलदाय विभाग को भूमि उपलब्ध कराना, पार्क का सौंदर्यीकरण, सड़कों पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाना, खुले में बने कचरे डिपो को स्थानांतरित करना, गंदगी फैलाने वालों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करना आदि समस्याओं के बारे में अवगत करवाया जिसपर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुये संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि समस्त समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने बताया कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर जनता के साथ संवाद रखते हुए समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु लगातार जनसुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। निगम का उद्देश्य स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित जयपुर का निर्माण करना है पेड़ लगाना है, गार्डन डवलप करना है।

20 हजार रुपये का किया कैरिंग चार्ज वसूल, 7 केन्टर सामान जब्त

■ लोकमत, जयपुर

नगर निगम ग्रेटर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देशानुसार उपायुक्त सतर्कता श्री अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को सतर्कता शाखा की टीम द्वारा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में महिला आयोग गांधी नगर, महाराणा प्रताप मार्ग, अम्बेडकर नगर, जेके लॉन हॉस्पिटल एवं बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध 20 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल कर 7 केन्टर सामान जब्त किया गया। उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर क्षेत्राधिकार में महिला आयोग गांधी नगर, महाराणा प्रताप मार्ग, अम्बेडकर नगर, जेके लॉन हॉस्पिटल एवं बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर अस्थाई अतिक्रमण हटवाया गया। उपरोक्त कार्रवाई के दौरान 7 केन्टर सामान जब्त कर गोदाम में भिजवाया गया व अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से मौके पर 20 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया गया तथा दौरे के दौरान कार्यवाही सतर्कता टीम द्वारा मौके पर समझाइश करते हुए मौखिक पाबंद करवाया कि भविष्य में अस्थाई अतिक्रमण समय से हटा ले अन्यथा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध भारी चालान या प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

उद्योगों के CSR के पैसो को रक्षा क्षेत्र में निवेश करने की आवश्यकता : रामलाल शर्मा

उप मुख्यमंत्री प्रेमचन्द बैरवा के चौमूँ प्रवास के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जगह जगह स्वागत

चौमूँ/लोकमत।

सोमवार को कालाडेरा में स्थित प्रेसिजन ऑटोकास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-II के उद्घाटन कार्यक्रम में पधारे राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा का पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। प्रेसिजन ऑटोकास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-II के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने संबोधित करते हुए राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने हेतु हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों, नीतियों और निवेश प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने माननीय उप मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जो CSR के पैसे को खर्च करने का मापदंड बना हुआ हैं जिसके अंतर्गत CSR के पैसे को स्कूलों, चिकित्सा, वाटर रिचार्ज आदि में खर्च किया जा सकता है, जबकि इन सभी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से समय समय पर बजट उपलब्ध करवाया जाता रहा है। लेकिन यदि CSR के पैसे को खर्च करने की गाइडलाइन में बदलाव कर इस पैसे को रक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए अधिकृत किया जाता है तो डिफेंस प्रशिक्षण के लिए, संसाधन क्रय करने में और साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए संसाधन क्रय करने आदि में राशि का उपयोग हो सकेगा। साथ ही उन्होंने रीको एरिया की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रस्तावित रामपुरा से रामगट्टा बाइपास के लिए 130 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है, शीघ्र ही इस बाइपास के निर्माण से औद्योगिक क्षेत्र को राहत मिलेगी। कार्यक्रम में उपस्थित हवामहल विधायक स्वामी बालमुकुन्द आचार्य ने कहा कि इस नई इकाई की स्थापना से क्षेत्रीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे व राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य को भी नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व सरपंच विष्णु नागर, मुकेश कुमार चोपड़ा, दामोदर बागडा, रामनिवास घोसल्या सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राष्ट्रार्पण- स्वर्णिम, सशक्त व सनातन राष्ट्र को गति अभियान के तहत शेरसिंह कुमावत को मिला प्रदेश महामन्त्री का दायित्व

■ लोकमत, चौमूं

जयपुर ज़िले के गोविन्दगढ़ में 'राष्ट्रार्पण- स्वर्णिम, सशक्त व सनातन राष्ट्र को गति' अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राज किशोर और राष्ट्रीय संरक्षिका पूज्य विभूषित महामण्डलेश्वर माँ श्री योग योगेश्वरी यति जी महाराज का आगमन हुआ। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ज़िले के कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक राज किशोर ने बताया की यह अभियान स्वाभिमान युग न्यास द्वारा संचालित है, जो संघ प्रेरित है और पूर्णत: राष्ट्रवाद तथा सनातन विचारों, व्यक्तियों व सरकारों को समर्पित है। यह एक देशव्यापी अभियान है, जिसने देश के कई राज्यों में अपना संगठन विस्तार किया है।

राजस्थान राज्य में इस अभियान को गति प्रदान करने और संगठन विस्तार हेतु सर्वसम्मति से गोविंदगढ निवासी गौभक्त शेरसिंह कुमावत को प्रदेश महामंत्री की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय संरक्षिका ने शेरसिंह कुमावत को सम्मानित करते हुए उन्हें नियुक्ति व सम्मान पत्र प्रदान किया।

इस अवसर पर शेरसिंह कुमावत ने अभियान में मिली ज़िम्मेदारी का पूर्ण मनोयोग से निर्वाह करने का संकल्प लिया और जल्द ही ज़िले में एक भव्य आयोजन के माध्यम से अभियान का शंखनाद करने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय संयोजक व राष्ट्रीय संरक्षिका जी ने बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को अभियान की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। बैठक में शेरसिंह कुमावत, विजय जाखड, लोकेश डेनवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शहर को गन्दा करने वाले दोषी व्यक्तियों पर नगर निगम ग्रेटर लगातार कर रहा है कारवाई

- **1 अप्रैल 2025 से अब तक 40 लाख रूपये से अधिक जुर्माना किया वसूल**
- **झोटवाड़ा जोन ने जुलाई माह के 7 दिनों में वसूले 75 हजार रूपये जुर्माना**

■ लोकमत, जयपुर

जयपुर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ग्रेटर की टीमें सतत् प्रयासरत हैं तथा शहर को गंदा करने वाले दोषी व्यक्तियों पर लगातार कारवाई कर रही हैं। आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से अब तक तक खुले में कचरा फेंकने, सीएनडी वेस्ट डालने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों, कचरा जलाने वालों सहित स्वच्छता के विभिन्न मापदण्डों का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्तियों पर नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसके तहत स्वच्छता के विभिन्न मापदण्डों का उल्लंघन करने पर 1 अप्रैल 2025 से अब तक लगभग कुल 40 लाख 34 हजार रूपये वसूल किये जा चुके है। उन्होनें बताया कि शहर की स्वच्छता हमारे लिए प्राथमिकता है, यदि कोई भी व्यक्ति शहर को गन्दा करता है, खुले में कचरा फैंकता है, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करता है स्वच्छता के मापदण्डों का उल्लघंन करता है तो दोषी व्यक्ति से कैरिंग चार्ज वसूल किया जायेगा। नगर निगम ग्रेटर की टीमें लगातार सफाई कार्य में जुटी है शहर को स्वच्छ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

नगर निगम ग्रेटर की सख्त कार्रवाई:- स्वच्छ सर्वेक्षण के विभिन्न मापदण्डों का उल्लंघन करने वाले जैसे खुले में कचरा डालने, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने दोषी व्यक्तियों से 28 लाख 33 हजार से अधिक जुर्माना वसूल किया सीएनडी वेस्ट पर 8 लाख 5 हजार 600 रूपये, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दोषियों से 3 लाख 67 हजार 850 रूपये जुर्माना राशि वसूल की गई। झोटवाड़ा जोन द्वारा अब तक सबसे अधिक कैरिंग चार्ज वसूल किया गया जिसके तहत जुलाई माह के मात्र 7 दिनों में 75 हजार रूपये के चालान काटे साथ ही सीएनडी वेस्ट डालकर रोड़ पर अतिक्रमण करने वाले दोषी व्यक्ति से 1 हजार रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 55 हजार रूपये एक ही दिन में वसूल किये गये। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 1 करोड़ 99 लाख रूपये का कैरिंग चार्ज कैरिंग चार्ज/जुर्माना दोषी व्यक्तियों से वसूल किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के विरूद्ध अब तक 32 लाख रूपये जुर्माना वसूल किया जा चुका है साथ ही लगभग 2123 किलो ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई है। नगर निगम ग्रेटर द्वारा आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करने के लिये समझाइश की जा रही है साथ ही महेश नगर सब्जी मण्डी, जनता स्टोर, बापू नगर, थड़ी मार्केट मानसरोवर, मुरलीपुरा सब्जी मण्डी, जगतपुरा सब्जी मण्डी, सांगानेर सब्जी मण्डी, अम्बाबाड़ी सब्जी मण्डी सहित 8 स्थानों पर क्लॉथ वेंडिंग मशीन स्थापित कर आमजन को कपड़े के थैले उपलब्ध करवाये जा रहे है।